

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- एफ.4(ई)(148)/अलेसे-III/12165-70

दिनांक:-

आदेश संख्या 145/15-16

विभागीय आदेश 129/2014-15 क्रमांक 12068-77 दिनांक 16.11.2015 द्वारा श्री हनुमान प्रसाद गुप्ता, कनिष्ठ लेखाकार (लिंग नं. 8608), जिनका निलम्बन से बहाली के उपरान्त आवश्यक कार्य निर्वहन हेतु मुख्यालय कार्यालय पारिवारिक न्यायालय, चित्तौड़गढ़ किया गया था, का पदस्थापन पारिवारिक न्यायालय, सवाई माधोपुर में कनिष्ठ लेखाकार के रिक्त पद पर किया जाता है ।

उक्त आदेश वित्त (राजस्व) विभाग के पत्र प. 2 (1) वित्त / राजस्व/2015 दिनांक 30.11.2015 के अनुसरण में जारी किया जाता है ।

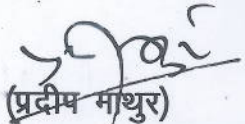

(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.4(ई)(148)/अलेसे-III/12165-70

दिनांक:- 1-12-15

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग जयपुर ।
2. पारिवारिक न्यायालय, सवाई माधोपुर ।
3. पारिवारिक न्यायालय, चित्तौड़गढ़ ।
- ✓ 4. उप निदेशक, (एसीपी) कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
5. वरिष्ठ निजी सहायक निदेशक, कोष एवं लेखा ।
6. श्री हनुमान प्रसाद गुप्ता, कनिष्ठ लेखाकार पारिवारिक न्यायालय, सवाई माधोपुर ।
7. निजी पत्रावली/रक्षित पंजिका ।


(प्रदीप मथुर)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक-III)